मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

CIN : L34103DL1981PLC011375
पंजी. कार्या. : प्लॉट नं.1, नेल्सन मंडेला रोड,वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070
फोन: +91 (11) 46781000; फैक्स: +91 (11) 46150275
वेबसाइट: www.marutisuzuki.com; ई-मेल: investor@maruti.co.in

सूचना
(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारको के ध्यान के लिए)
विषय : निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफण्ड) नियम, 2016 ("नियम") 7 सितंबर, 2016 से प्रभावी, के तहत प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित हुई है। अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और सरंक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरो के धारकों को जिनके शेयर उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित होने संभावित हैं उन्हें उचित कार्यवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट **www.marutisuzuki.com** पर अपलोड कर दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांश के विवरण और शेयरों जो आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वे वेबलिंक **http://www.marutisuzuki.com/unclaimed-dividends.aspx** देखें।

शेयरधारक ध्यान दें कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता हैं।

संबंधित शेयरधारकों से 15 दिसंबर, 2016 या ऐसी तारीख जब तक बढ़ाई जाए तब तक कम्पनी को कोई संचार प्राप्त न होने की परिस्थिति में, कम्पनी नियमों में वर्णित आवश्यकताओं के साथ पालन करने के दृष्टिकोण से, संबंधित शेयरों को आईईपीएफ सस्पेंस खाते को नियत तारीख पर हस्तांतरण कर देगी जैसे नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अगर शेयरधारकों का इस विषय और नियमों पर कोई भी सवाल है, तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, श्री रवि शंकर शुक्ला, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31–32, गछीबावली, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद–500 032, फोनः 040-6716 2222, फैक्सः040-2300 1153; टोल फ्री नं.ः1-800-34-54-001,ई-मेलः **einward.ris@karvy.com**;वेबसाइटः **www.karvycomputershare.com** से संपर्क करें।

मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

नई दिल्ली
17 नवम्बर 2016

एस रवि अय्यर
कार्यकारी निदेशक (विधि) एवं कम्पनी सचिव